तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
0/06/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 14/07/2025 को पेश हो।	
14/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 22/8/25 को पेश हो।	
22/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित। अ वादीगण की ओर से PW-1 लेखराज, व PW-2 बाबू ने शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य वादी दिनांक 26/8/25 को पेश हो। Shanti	लेखराज
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उक्त अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते साक्ष्य वादी बंद की जाती है। अभि० वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो। Shanti	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उक्त वाद पत्र वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० हुए पत्राव फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Shanti सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 88/2024

1. जितेन्द्र कुमार
2. लेखराज पुत्रान लक्खीराम
3. सरोज पत्नि दीवान सिंह जाति गुर्जर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन।

..................वादीगण

बनाम

1. विजय सिंह
2. नवाव सिंह
3. निहाल सिंह पुत्रान सुन्दरलाल
4. अमर सिंह पुत्र विजय सिंह
5. जवाहर सिंह
6. विष्णु पुत्र निहाल सिंह

..............प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—29.08.2025**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 115/0.40, 89/0.21, 90/0.02, 93/0.02 बाकै ग्राम नगला टीकैता तहसील उच्चैन में वहैसीयत खातेदार मौके पर आज तक निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है एवं इस समय भी मौके पर वादीगण का कब्जा है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का आज तक किसी प्रकार का लेना देना नहीं रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण लठैत, ताकतबर, बदमाश एवं राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो कि वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की नीयत से तरह तरह से परेशान करते है एवं शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देते है। दिनांक 29.08.2024 को प्रतिवादीगण मौके पर आ गये एवं वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर व कब्जा करने का प्रयास करने लगे एवं विवादित आराजी के कुछ हिस्से पर पत्थर डालने का प्रयास किया एवं विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण वादीगण ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री लखनलाल एडवोकेट हाजिर आये एवं जबाव हेतु समय चाहा। दिनांक 15.05.2025 को प्रतिवादीगण के द्वारा जबाव पेश नहीं करना चाहने के कारण जबाव बंद किया गया। दिनांक 30.05.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण की ओर से पीडब्लूयू–1 लेखराज एवं पीडब्लूयू–2 बाबू ने शपथ पत्र पेश किये।

अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी पर वादीगण आज दिनांक तक मौके पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के राजनैनितक पहुंच बाले व्यक्ति है जो कि वादीगण की कब्जे काश्त में व्यबधान पैदा करते रहते है। प्रतिवादगण के द्वारा दिनांक 29.08.2024 को विवादित आराजी के कुछ हिस्से पर पत्थर डालने एवं आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं शपथ पत्र आदि का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है एवं प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त प्रकरण में ना तो जबाव दावा पेश किया गया है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यबाही अमल में लायी गई है। वादपत्र वादीगण डिकी किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

वाद पत्र वादीगण डिकी किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 115/0.40, 89/0.21, 90/0.02, 93/0.02 बाकै ग्राम नगला टीकैता तहसील उच्चैन में वादीगण के उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें। किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत बेजहॉ नहीं करे एवं वादीगण की आराजी पर अवैध कब्जा नहीं करें और ना ही वादीगण को जबरन उक्त आराजी से बेदखल करें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

जितेन्द्र कुमार बनाम विजय सिंह वगैरह

दावा बाबत धारा 188 RT-A

मुकदमा नं. 88/2024 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हाजिर

व हाजरी श्री जयप्रकाश शर्मा एडवो मिनजानिब

मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है प्रति० को
स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख० नं०
115/0.40, 89/0.21, 90/0.02, 93/0.02 वाके ग्राम नगला टीकैता त० उच्चैन
के वादीगण के उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे।
किसी प्रकार की हस्तक्षेप व मुजाहमत बेजा नहीं करे एवं वादीगण की आराजी पर अवैध
कब्जा नहीं करे और ना ही वादीगण को जबरन उक्त आराजी से बेदखल करे।

आज मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज

की तारीख से तारीख बसूलयावी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 08 वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत Sd/-

ओहदा सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर........		
महनताना वकील	)पर........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 88/2024

1. जितेन्द्र कुमार
2. लेखराज पुत्रान लक्खीराम
3. सरोज पत्नि दीवान सिंह जाति गुर्जर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन।

.................वादीगण

बनाम

1. विजय सिंह
2. नवाव सिंह
3. निहाल सिंह पुत्रान सुन्दरलाल
4. अमर सिंह पुत्र विजय सिंह
5. जवाहर सिंह
6. विष्णु पुत्र निहाल सिंह

.............प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए.

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner